

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बलदेवसिंह हाडा

तारीख रजू— 11/05/2010

संख्या 944/10

श्री राजेश मीना निवासी ढाणी सवाईगंज ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा।

----- अपीलार्थी

बनाम

श्री जयदेव तहसीलदार, चौथ का बरवाडा।

----- रेस्पो0

निर्णय

दिनांक—04/06/2015

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर जिले का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 912/0.9 में पारित आदेश दिनांक 25/02/10 के अन्तर्गत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम ईसरदा की आराजी खसरा नम्बर 1205, 1210, 1212 कुल किता 4 रकवा 1.23 हैक्टर किस्म गै0मु0तालाब पर संवत 2065 में अतिक्रमण रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने का अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने, फसल जब्त कर नीलामी के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपील आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से कोई पत्रावली उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं होने पर मौका सौंपा जा चुका है व बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य अतिक्रमण आराजीयात पर अपीलार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है पटवारी हल्का ने बिना अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के आधार पर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसकी जांच अपीलार्थी को नोटिस व समय भी नहीं दिया गया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमण आराजी पर संवत 2065 में अतिक्रमण माना है जबकि पूर्व में अतिचार बाबत अपीलार्थी को कभी कोई नोटिस नहीं दिया है। अपीलार्थी ने बहस में यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट व बयान में संवत 2065 में भी अतिक्रमण करना बताया है जबकि पूर्व वर्ष संवत 2065 में अतिक्रमण बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी को अतिक्रमण आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना जाकर पारित उक्त अपीलार्थी निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय पेटोकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत द्वारा संवत 2065/10 को पारित निर्णय की अपील 29/04/10 को प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से प्रस्तुत होने का कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान राजकीय पेटोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आदेश जेरे अपीलार्थी को पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के कम से

बलदेवसिंह कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

F 944/10

जॉच करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। अतः अपीलार्थी खारिज की जावें।

जब वकील अपीलार्थी व परोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में कब्जा व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त नहीं होने पर अदालत मातहत से कब्जा रिपोर्ट प्राप्त पर पत्राक राजस्व/14/152 दिनांक 15/07/14 से पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजीयात पर कब्जा होना नहीं बताया गया। वर्तमान में पानी भरा होना तथा खाली होना बताया है। वकील अपीलार्थी ने भी बहस के अतिक्रमित आराजी पर वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं होना बताया है। अतः उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान कब्जे संबंधित जॉच अदालत मातहत से करवाया जाना उचित समझा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। बंदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार, चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ पारित किया जाता है कि यदि वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण पाया जाय तो अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को यथावत निरस्त और यदि वर्तमान में अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा को निरस्त

निर्णय आज दिनांक 04/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर